

**कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।**

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन-834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक- 1235

राँची, दिनांक- 05.12.2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :- सी0सी0एल0 द्वारा चन्द्रगुप्त खुली खदान कोल परियोजना हेतु 699.38 हे0 (चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अन्तर्गत- 400.96 हे0 एवं हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल अन्तर्गत-298.42 हे0) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/MIN/140599/2021) के संबंध में।

प्रसंग :- 1. वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा का पत्रांक 786 दिनांक 21.10.2022
2. वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग का पत्रांक 1799 दिनांक 21.10.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है कि प्रासंगिक पत्र-1 एवं 2 द्वारा सी0सी0एल0 के चन्द्रगुप्त खुली खदान कोल परियोजना हेतु कुल 699.38 हे0 (चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अन्तर्गत 400.96 हे0 एवं हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल अन्तर्गत 298.42 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव Online एवं उसकी Hard copy में प्राप्त हुआ है।

प्रस्ताव की DSS से समीक्षा के क्रम में पाया गया कि परियोजना के प्रस्तावित वनभूमि के Online KML में वनभूमि का कुल रकवा 699.38 हे0 के स्थान पर 725.38 हे0 प्रदर्शित हो रही थी, जिसमें सुधार हेतु दिनांक 09.11.2022 को ऑनलाईन पृच्छा की गयी, जिसका निराकरण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा करने के पश्चात् वन संरक्षक द्वारा दिनांक 19.11.2022 को नोडल कार्यालय को ऑनलाईन अग्रसारित किया गया।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा/हजारीबाग द्वारा प्राप्त प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित है :-

1. यह परियोजना कुल दो वन प्रमंडल क्रमशः चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल एवं हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल अन्तर्गत अवस्थित है।
2. इस परियोजना में चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अन्तर्गत 400.96 हे0 वनभूमि अन्तर्गस्त है, जिसमें से अधिसूचित वनभूमि 192.07 हे0, अधिसूचित परन्तु असीमांकित वनभूमि 49.16 एवं गैर मजरुआ जंगल-झाड़ी के रूप में दर्ज वनभूमि का रकवा 159.73 हे0 है।
3. हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल के अन्तर्गत प्रस्तावित 298.42 हे0 वनभूमि अन्तर्गस्त है, जिसमें से अधिसूचित वनभूमि 295.46 हे0 एवं गैर मजरुआ जंगल-झाड़ी का रकवा 2.96 हे0 है।
4. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि का वैधानिक स्थिति रकवावार/प्रमंडलवार निम्नवत् है :-

प्रमंडल का नाम	अधिसूचित वन भूमि का रकवा (हे0 में)	अधिसूचित परन्तु असीमांकित वनभूमि (हे0 में)	गैर मजरुआ जंगल-झाड़ी के रूप में दर्ज वनभूमि का रकवा (हे0 में)	वनभूमि का कुल रकवा (हे0 में)	गैर वनभूमि (हे0 में)	वनस्पति घनत्व
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल	192.07	49.16	159.73	400.96	710.04	0.6
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल	295.46	0.00	2.96	298.42	85.58	0.6
कुल :-	487.53	49.16	162.69	699.38	795.62	

5. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विहित प्रपत्र (Form-A) में आवेदन दर्ज है।
6. प्रस्ताव के साथ Part-II में संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल एवं हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल का मंतव्य दर्ज है। साथ ही संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।
7. Part-III में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा एवं हजारीबाग का मंतव्य दर्ज है।
8. 1:50,000 स्केल के टोपोशीट पर लोकेशन मैप संलग्न है।
9. परियोजना में प्रभावित भूमि से संबंधित Authentic Land Schedule प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
10. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का Geo reference map Hard एवं Soft Copy में संलग्न है।
11. प्रस्ताव के साथ लागत लाभ विश्लेषण संलग्न है।
12. विषयक परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त कर प्रस्ताव की अंतिम स्वीकृति के पूर्व जमा करने से संबंधी प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई वचनबद्धता प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न है। भारत सरकार के पत्रांक No. IA-J-11015/43/2021-IA-II (M) दिनांक 13.09.2021 द्वारा निर्गत ToR की प्रति संलग्न है।
13. विषयगत परियोजना में चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल अन्तर्गत प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 39,878 है तथा हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल अन्तर्गत प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 87,310 प्रतिवेदित है। वृक्षों की प्रजातिवार गणना सूची संलग्न है।
14. प्रस्ताव के साथ राजस्व अभिलेख में गैर मजरुआ जंगल-झाड़ी भूमि का आयुक्त, हजारीबाग के पत्रांक 1364 दिनांक 30.08.2022 एवं उपायुक्त, चतरा के पत्रांक 868 दिनांक 10.06.2022 द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न है।
15. विषयगत प्रस्ताव में चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल एवं हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल अन्तर्गत अधिसूचित वनभूमि एवं जंगल-झाड़ी वनभूमि का वनाधिकार अधिनियम, 2006 से संबंधित प्रमाण-पत्र अप्राप्त है, जिसे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित करने की वचनबद्धता प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
16. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV एवं CA आदि की राशि जमा करने हेतु वचनबद्धता दी गई है।
17. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दो वन प्रमण्डल यथा चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल एवं हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल में दो गुणे 1398.76 हे० के विरुद्ध 1400.00 हे० अवकृष्ट वनभूमि का चयन किया गया है, जो निम्नवत् है :-

A. चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल अन्तर्गत अपयोजित होने वाले वनभूमि के विरुद्ध चयनित क्षतिपूरक वनभूमि का विवरण :-				
Name of Division	Name of Village/ Mouza	Thana & Thana No.	Plot No.	Net Area (in ha.)
Chatra South Forest Division	Pitiz	Itkhor-08	2536P, 2541, 2562P, 2497	36.00
	Damdoia	Chatra-256	897, 928, 1359	40.71
	Chiraiya	Gidhour-38	245, 246, 247, 248, 249, 250, 251P	70.00
	Kalajeerma	Simaria-115	17, 19, 23P	13.36
	Lamboya	Pathalgada-61	861, 862, 863, 864, 867, 868, 873	134.00
	Nayakhap	Gidhour-18	796, 1277P, 1460P, 1466P	80.00
	Pahra	Gidhour-23	4, 58P, 169P, 201P	37.00
	Rol	Simaria-161	48P, 49, 50P	40.00
	Sinduarikhurd	Gidhour-13	2P, 3P, 4P, 5P	20.35
	Ahuri	Chatra-275	24P, 25P, 58P, 59P, 70P, 71P, 75P, 76P	13.58
	Marangi	Gidhour-45	3P, 4P, 5P, 6P, 112P, 399P, 400P, 401P	82.00
	Mahuari	Itkhor-132	1228P, 1229P, 1230P, 1231P, 1234P	120.00

	Dahu	Tandwa-65	517, 560, 1771, 1837, 2006, 1614, 1615, 1717, 1880, 1881, 1912, 1970, 1998, 1146, 1585, 1594, 1611, 1472P, 1931P, 1935, 1936P	73.00
	Padampur	Tandwa-1	854P, 857P	40.00
Total (A) :-				800.00
B. हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल अन्तर्गत अपयोजित होने वाले वनभूमि के विरुद्ध चयनित क्षतिपूरक वनभूमि का विवरण :-				
Name of Division	Name of Village/ Mouza	Thana & Thana No.	Plot No.	Net Area (in ha.)
Hazaribagh West Forest Division	Mangrmuha	Barhi-25	100, 107, 110, 113	20
	Basriya	Barhi-128	17, 22, 23, 25, 26, 79, 95, 131, 132, 133, 134, 199, 233, 252, 233/56, 197, 170, 200, 232, 208	61.68
	Jarhiya	Barhi-59	93, 194, 136, 140, 143, 219, 220, 222, 230, 242, 265, 1061, 475	34.12
	Devchanda	Barhi-04	853, 870, 872, 873	95.24
	Lachudih	Barhi-130	18, 19, 34, 43, 45	40
	Gaida	Barkatha-68	3050, 3081	46
	Chandgarh	Barkatha-56	131, 133, 134, 139	64.88
	Jataghaghra	Barkatha-04	80, 145, 155, 1289, 1303, 1345, 1374	27
Chatra South Forest Division	Kendua	Barkatha-08	02, 14, 26, 149, 190, 192, 428, 429, 432, 433, 484	86.43
	Lohidi	Gidhour-29	194P, 32P, 33P, 34P, 35P	45.00
	Sinduarikhurd	Gidhour-13	2P, 3P, 4P, 5P	29.65
	Unta	Chatra-141	1P	50.00
Total (B) :-				600.00
Gross Total (A+B) :-				1400.00

18. प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित वनभूमि का नक्शा, DGPS/KML File/ संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का उपयुक्तता प्रमाण-पत्र एवं दस वर्षीय प्राक्कलन संलग्न है।
19. प्रस्ताव में CWLW, झारखण्ड का मंतव्य अपेक्षित है। उनसे अनुरोध किया जा रहा है, जिसे प्राप्त होने पर अलग से भेजा जायेगा।
20. Part-IV में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य संलग्न है।

क्षेत्रीय पदाधिकारी यथा वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा एवं हजारीबाग से प्राप्त प्रस्ताव के हार्डकॉपी में अनुलग्नकों (Annexures) की संख्या सही है, परन्तु उसमें अंकित पृष्ठों की संख्या में त्रुटियाँ रहने के कारण उसे सुधार कर Index (For Chatra South Division) एवं Index (For Hazaribagh West Division) प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।

क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा कुल 699.38 हे० वनभूमि अपयोजन हेतु सशर्त अनुशंसा की गई है। अधोहस्ताक्षरी उनके मंतव्य से सहमत होते हुए विषयगत परियोजना हेतु कुल 699.38 हे० वनभूमि अपयोजन हेतु स्टेज-1 की स्वीकृति के लिए लोकहित में मानक शर्तों पर अनुशंसा की जाती है।

अतः दोनो वन प्रमंडलों से संबंधित प्रस्ताव की 3-3 मूल प्रतियाँ अग्रतर कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ संलग्न भेजी जा रही है।

संचिका में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन
05.12.2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

5-12

PART -IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

*Chandragupt Open Cast Coal Mines of Amrapali Chandragupt
Area of Central Coalfields Ltd. 699.38ha.*

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks)

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 699.38 ha of Forest land.

Date :- 05-12-2022

Place :- Ranchi

Signature



05.12.2022

(Sanjay Srivastava)
Nodal Officer

Name & Designation

Principal Chief Conservator of Forests
Cum-Executive Director
Waste Land Development Board
Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)